

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

दुरुस्ती/२३/३८

दिनांक २३/०३/२३

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मुन्मरी गृ. अमिलेख  
नेहराना की रिपोर्ट तथा तहसीलदार भादरा/गायब तहसीलदार गोहर की  
के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा १३६ के अनुसरण में  
तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ की जमाबन्दी संवत् २०१५-१६ में  
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया  
राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

सम/चक	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
मुन्मरी वारसी	१७३/२३५	शुद्ध पुत्र कुडा	हनुमानगढ़
मुन्मरी वारसी	१८१/२३६		पुत्र कुडा
१२ MSR	१५१/१५१		
१२ MSR	२६/२५		

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़

दिनांक: २३/०३/२०२३

सम/२३/३९-५०

निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

तहसीलदार (राजस्व) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, विवाद एवं बैंक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रार्थी/प्रार्थिया शुद्ध पुत्र कुडा को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़